

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन(गुप्त-2)विभाग**

क्रमांक :— प. 19(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 24-06-2022

—: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में एफ-श्रेणी (स्वतंत्र) की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार कियाये पर राजकीय आवास आवटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-

क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.		श्री संजय मिश्रा कार्यकारी अधिकारी न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (सी.बी. आई.) क्रम-2, जयपुर महानगर प्रथम।	30.09.2029	एफ-115 गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) (एफ-116, गांधीनगर के स्थान पर)
2.	163	श्री बच्चू सिंह मीणा सहायक शासन सचिव उपनिवेशन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2032	एफ-407, गांधीनगर (एफ-118, गांधीनगर के स्थान पर)
3.	309	श्री मोहन सिंह मीणा नर्स ग्रेड-1 सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	31.10.2028	एफ-486, गांधीनगर (4/108, गांधीनगर के स्थान पर)
4.	334	श्री दामोदर लाल मीणा वाहन चालक राज. एयर स्कवा. एन.सी.सी. जयपुर।	31.08.2028	एफ-485 गांधीनगर (4/94 गांधीनगर के स्थान पर)
5.	440	श्रीमती बाला कुमारी विशेष अध्यापिका राजकीय सेठ आनंदीलाल मूक बघिर विद्यालय, जयपुर।	31.07.2047	एफ-197, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) (4/127, गांधीनगर के स्थान पर)
6.	448	श्री अमित सिंह चारण लिपिक ग्रेड-1 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासनसचिवालय, जयपुर।	31.07.2052	एफ-53, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) (4-सी-21, बहुमंजिला, गांधीनगर के स्थान पर)
7.	450	श्री योगेश शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.01.2044	एफ-43, गांधीनगर (एफ-977, गांधीनगर के स्थान पर)
8.	451	श्री अनिल कुमार सहायक अनुभागाधिकारी विभागीय जांच विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2044	एफ-88, गांधीनगर (4/69, गांधीनगर के स्थान पर)
9.	452	श्री पवन कुमार शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी राजस्व (गुप्त-9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.08.2043	एफ-118, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) (4/67, गांधीनगर के स्थान पर)
10.	453	श्री राजेश कुमार शर्मा नर्सिंग अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्साल, जयपुर।	31.10.2031	एफ-199 गांधीनगर (एफ-925 गांधीनगर के स्थान पर)
11.	454	श्री पुष्कर राज जाटव सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2049	एफ-463 गांधीनगर (4/90, गांधीनगर के स्थान पर)
12.	455	श्रीमती अरुणा सैनी कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत-बी, घट-द्वितीय, संभाग-प्रथम, जयपुर।	31.07.2043	एफ-480 गांधीनगर (4/142, गांधीनगर के स्थान पर)
13.	456	श्री गोविन्द नारायण सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख-3/सुरक्षा) शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2047	एफ-100 गांधीनगर (4-ए-18, बहुमंजिला, गांधीनगर के स्थान पर)

14.	457	श्री संजय कुमार मीना सहायक अनुभागाधिकारी कार्या. मान. मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2049	एफ-163 गांधीनगर (4-सी-20, बहुमंजिला, गांधीनगर के स्थान पर)
15.	458	श्री सत्येन्द्र शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2044	एफ-164 गांधीनगर (4/61 गांधीनगर के स्थान पर)

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञे हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी।
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आस्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

५०

(शैली किशनानी)  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2)/(ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- कमांडेंट, राज. एयर स्कवा. एन.सी.सी. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- आयुक्त, वृत्त-बी. घट-द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (सी.बी.आई.) क्रम-2, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- प्राचार्य, राजकीय सेठ आनंदीलाल मूक बघिर विद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर/शासन सचिवालय, जयपुर।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- साहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चारों करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजावाये।
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करें।
- निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

१६  
विशिष्ट शासन सचिव